अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

24/5/24

पत्रावली प्रस्तुत अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
चूंकि मूल पत्रावली में निर्णय हो चुका है अतः
विलम्ब प्रार्थना पत्र भी खारीज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुदा होकर लिपिक के पास हो।
निर्णय सुनाया गया।

24/5/24

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली